जनपद बागेश्वर में प्रारंभिक शिक्षा की दशा एवं दिशा

(शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में)

केवलानन्द काण्डपाल*

हमारे देश में बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू होना एक महत्वपूर्ण परिघटना है। यह 6-14 आयुवर्ग के बच्चों (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में 18 वर्ष) के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय एवं शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित करता है। इसमें देश के शैक्षिक परिदृश्य को समग्र एवं व्यापक रूप से बदलने की सामर्थ्य है। अधिनियम के लागू होने से तात्कालिक रूप से इसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे विद्यालयों के वातावरण एवं कक्षा-कक्ष प्रक्रिया पर पड़ेगा। विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय विकास योजना, कक्षा-कक्ष वातावरण, शिक्षण विधाओं, अधिगम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाना होगा। यह अधिनियम बच्चों को शिक्षा का अधिकार न्यायसंगत (Justiciable) तरीके से उपलब्ध कराने के संदर्भ में विद्यालय इकाई को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करता है। अत: इस अधिनियम के आलोक में सूक्ष्म स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की दशा एवं दिशा का विमर्श, उपयोगी उपक्रम हो सकता है। प्रस्तुत आलेख में एक जनपद में प्रारंभिक शिक्षा की दशा एवं दिशा की जाँच पड़ताल, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में करने का प्रयास किया गया है।

किसी भी स्तर की शिक्षा (विद्यालयी या उच्च शिक्षा) पर विमर्श करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि दरअसल शिक्षा क्या है? प्रसिद्ध शिक्षाविद् *जॉन डयूई (John Dewey)* का कहना है कि, "उस किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं जिससे असली ज़िंदगी सुधरती न हो। ...शिक्षा जीवन जीना है, शिक्षा

* *प्रवक्ता,* जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर (उत्तराखंड)

Chapter 5.indd 43 6/26/2015 2:51:10 PM

जीवन की तैयारी मात्र नहीं है। शिक्षा नौकरी की तैयारी नहीं है अपितु वर्तमान में एक बेहतर जीवन जीने का तरीका है, जिसके अंतर्गत हम अपनी ज़िंदगी से जुड़े सवालों, आवश्यकताओं व समस्याओं को समझकर उनकी पूर्ति एवं समाधान कर सकें।" बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर एवं आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। उनके अनुभवों में भी विविधता होती है।

इन्हीं अनुभवों का परिमार्जन करना एवं नवीनीकरण होते रहना शिक्षा का वास्तविक मंतव्य होता है। अत: बच्चे की शिक्षा उसके अनुभवों की पृष्ठभूमि पर संचालित होनी चाहिये तथा बच्चे के भावी जीवन में इस शिक्षा के कुछ मायने भी होने चाहिए।

मानव समाज के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं सामर्थ्यवान अभिकरण है। यह व्यक्ति के भविष्य को विस्तृत, समृद्ध एवं परिष्कृत करने का विश्वसनीय साधन है। विश्व के अधिकांश देश जो लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्य मूल्यों के रूप में अभिकथित करते हैं। अपने बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व निर्वहन के क्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का योगक्षेम वहन करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा ही वह नींव है जिसकी आधारभूमि पर आगे की शिक्षा एवं तत्पश्चात् भावी जीवनक्रम की दिशा निर्धारित होती है। इस आलेख को बागेश्वर जनपद की प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा-1से कक्षा-8 तक) की दशा एवं दिशा तक सीमित रखते हुए विशेषकर नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जाँच पड़ताल का प्रयास किया गया है।

तत्कालीन उ.प्र. में 15 सितंबर, 1997 को सृजित जनपद बागेश्वर की भौगोलिक विषमता, आर्थिक स्थिति का कोई ठोस आधार न होने के बावजूद भी इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कहा जा सकता है। इसके अलावा **जनांकिकी (Demography)** की दृष्टि से जनपद की स्थिति राज्य में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी संतोषप्रद कही जा सकती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 80.69 प्रतिशत थी, जो उत्तराखंड की साक्षरता दर (79.83) प्रतिशत तथा राष्ट्रीय साक्षरता दर (75.04) प्रतिशत से बेहतर है। यही तथ्य महिला साक्षरता के बारे में भी सही है। जेंडरानुपात 1090 एवं बाल जेंडरानुपात (0-6 आयुवर्ग में) 904 है। ये दोनों अनुपात राज्य एवं राष्ट्रीय अनुपातों से संतोषजनक रूप से बेहतर हैं। यह उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी महसूस होता है कि उक्त बेहतर शैक्षिक एवं जेंडर सांख्यिकी जनपद की सामाजिक चेतना एवं विशेषकर अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरुकता में किस प्रकार से परिलक्षित हो रही है|

26 जनवरी 1950 से *लागू भारतीय संविधान समता, समानता, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्य मूल्यों के रूप में रेखांकित करता* है। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उपबंध किया गया था कि आगामी एक दशक के अंतर्गत राज्य यह प्रयास करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वर्ष 2009 में यह संकल्प पूर्ण करने का प्रयास करते हुए नि:शुल्क एवं अनिवार्य

शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल, 2010 से इसे संपूर्ण भारत में (जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर) लागू कर दिया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करते हुए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21(A) जोड़कर इसे 6-14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उपांग के रूप में इसे प्रतिस्थापित करने के गंभीर संवैधानिक निहितार्थ हैं। अर्थात् अब 6-14 आयुवर्ग के किसी बच्चे को इस अधिकार से वंचित किया जाता है या इसे अवक्रमित किया जाता है, तो यह जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के वंचन सदृश्य संवैधानिक कार्यवाही के अंतर्गत समीक्षा योग्य माना जाएगा। इसके साथ-साथ संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 51(A) में अभिभावकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि वे अपने 6-14 आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध होंगे। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद इससे अधिकार–आधारित उपागम (Right Based Approach) के रूप में व्यवहृत करने की आधार भूमि निर्मित हो गई है।

इस अधिनियम में मुख्यत: निम्न प्रावधान समाहित हैं-

- 6-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अंतर्गत नामांकन हेतु जन्म संबंधी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता एवं अनिवार्यता को बच्चे के पक्ष में शामिल किया गया है।
- बच्चों की शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करने हेतु सक्षम राज्य सरकार की जवाबदेही निर्धारित की गई है।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपवंचित वर्ग के बच्चों का पड़ोस के निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, यह नामांकन उस विद्यालय की सबसे निचली कक्षा में किया जाएगा। इस प्रकार नामांकित बच्चे की शिक्षा का संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- अध्यापक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का निर्धारण किया गया है। अब निजी विद्यालयों के लिए भी आवश्यक कर दिया गया है कि वह निर्धारित अर्हता धारक अध्यापक नियुक्त करें।
- अध्यापक की नियमितता (Regularity) एवं समयबद्धता (Punctuality), निर्धारित समय पर पाठ्यचर्या पूर्ण करना, बच्चे के अधिगम स्तर का आंकलन एवं तदानुरूप शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण, अभिभावकों से संपर्क करके उनके बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी देना, कक्षा-कक्ष एवं विद्यालय में भयरहित एवं तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना आदि के बारे में अध्यापक की स्पष्ट जवाबदेही निर्धारित की गई है।
- बच्चों के शिक्षा के, अधिकार के अवक्रमित होने/उल्लंघन होने की दशा में राष्ट्रीय एवं राज्य

स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना का निर्देश है। 'यह आयोग बच्चों के शिक्षा के अधिकार अवक्रमित होने/उल्लंघन होने की दशा संज्ञान में लेगा तथा उचित विधिक कार्यवाही कर सकेगा।'

- बच्चों के लिए विद्यालयों की उपलब्धता कराना एवं निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की व्यवस्था करना सरकार की जवाबदेही होगी।
- प्रत्येक विद्यालय मे न्यूनतम अध्यापकों की संख्या, तत्पश्चात् बच्चों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की उपलब्धता, वर्ष भर में न्यनतम शिक्षण दिवसों की संख्या एवं प्रति सप्ताह न्यून्तम शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं।
- प्रत्येक सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, रसोईघर एवं स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हेतु सरकार की जवाबदेही निर्धारित की गई है।

शिक्षा समाज में चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। शिक्षा एवं समाज का आपस में एक जटिल रिश्ता है। शिक्षा समाज को प्रभावित करती है और समाज शिक्षा को। किसी भी समाज के सरोकार उस समाज विशेष की भौगोलिकी, संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति से निर्धारित होते हैं। इन्हीं घटकों से यह भी निर्धारित होता है कि शिक्षा को लेकर उस समाज विशेष की चेतना का स्वरूप क्या है? इस चेतना को एकदम ठीक-ठीक मापना बहुत आसान भी नहीं है। शिक्षा को लेकर समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों के आधार पर इसका कुछ-कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

सामाजिक चेतना (जनपद की प्रारंभिक शिक्षा के विशेष संदर्भों में)- जनपद बागेश्वर में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर सामाजिक संचेतना का स्तर क्या है? यह जानने के लिये इस संदर्भ में समाज के सरोकारों एवं प्रवृत्तियों से अनुमान लगाने में संभवत: मदद मिल सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में समाज में निम्नांकित प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती हैं-

- अधिकांश व्यक्ति/परिवार अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराना चाहते हैं और जो आर्थिक दृष्टि के हिसाब से बेहतर स्थिति में हैं वे ऐसा कर भी रहे हैं। जनपद के सरकारी विद्यालयों में नामांकन दर में विगत कुछ वर्षों से वृद्धि दिखाई देती है। *ASER (Annual Status of Education Report) 2013* की रिर्पोट में सामने आया है कि वर्ष 2013 में जनपद के 6-14 आयुवर्ग के विद्यालयों में नामांकित कुल बच्चों में से 24.7 प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालयों में नामांकित थे।
- बच्चों की शिक्षा को लेकर समाज के सरोकार एवं जागरूकता स्तर में वृद्धि दिखाई देती है। आर्थिकी की दृष्टि से सक्षम परिवार जनपद एवं ब्लॉक मुख्यालयों में अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करने को प्रयासरत् हैं। बेहतर आर्थिक स्थिति वाले परिवार जनपद से बाहर बच्चों की शिक्षा के लिए विस्थापित भी हो रहे हैं।

- अपने बच्चों की शिक्षा से सरोकार रखने वाले व्यक्तियों/परिवारों से बातचीत के क्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन करने का आशय यह नहीं है कि इनका सरकारी शिक्षा प्रणाली पर से विश्वास ही उठ गया है। यदि सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाए, तो कतिपय अभिभावक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे।
- जनपद के कतिपय सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने प्रयास करके यह भी दिखाया है कि निजी विद्यालयों से पुन: सरकारी विद्यालयों में बच्चों की वापसी भी हुई है। ये प्रयास अति सीमित मात्रा में नज़र आते हैं इससे शिक्षा को लेकर सामाजिक चेतना सरकारी शिक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता को पुष्ट करती है।
- सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ आदि) के प्रति सजगता दिखाई देती है परंतु विद्यालयों में अध्यापकों की कमी इस सजगता को कुँद करने में सफ़ल हो जाती है। अत: इन सुविधाओं के बावजूद एकल अध्यापकीय सरकारी विद्यालयों में नामांकन में रूचि नहीं दिखाई देती है।
- समाज में यह चेतना तो है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यताधारक शिक्षक नियुक्त होते हैं परंतु शैक्षिक रूप से सक्षम एवं प्रशिक्षित होने के बावजूद एकल अध्यापक पाँच कक्षाओं का किस प्रकार से पठन-पाठन करा सकेंगे, यह चेतना दिग्भ्रमित हो जाती है। निजी विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा हेतु कम से कम एक अध्यापक तो उपलब्ध है, फिर ये अध्यापक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण मानकों पर कमतर ही क्यों न हों। अत: निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन एक अनिवार्य बाध्यता प्रतीत होती है।
- निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु जिन परिवारों के पास सीमित विकल्प हैं, ऐसे परिवार बालक को यथासंभव निजी विद्यालयों में नामांकित करने में रूचि रखते हैं और बालिकाओं का दाखिला सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में करने की प्रवृत्ति नज़र आती है। बालक-बालिका की शिक्षा में भेद-भाव का यह स्वरूप स्पष्ट नज़र आता है। *असर (ASER) 2013* की रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय जाने वाली कुल बालिकाओं में से 52.6 प्रतिशत बालिकाएँ सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं 51.8 प्रतिशत बालिकाएँ सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित थी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 35.3 प्रतिशत बच्चे इन विद्यालयों मे नामांकित थे जिनमें से 51 प्रतिशत बालिकाएँ थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 63.1 प्रतिशत बच्चे इन विद्यालयों मे नामांकित थे जिनमें से 54.8 प्रतिशत बालिकाएँ थीं। यह प्रवृत्ति बालिकाओं, अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को लेकर सामाजिक चेतना के विशेष पहलू को प्रदर्शित करता है।

- जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न है, इसको लेकर सामाजिक स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है। बच्चों के दैनिक व्यवहार में अंग्रेज़ियत को प्रदर्शित करने वाले कुछ शब्दों या वाक्यों के प्रयोग से बच्चों की अच्छी शिक्षा होना मान लिया जाता है। समाज के इस मनोविज्ञान का दोहन करने का प्रयास निजी विद्यालय करते हैं। तथाकथित अंग्रेज़ी माध्यम के निजी विद्यालय क्या अंग्रेज़ी माध्यम को यर्थाथ में व्यवहृत भी करते हैं? यह जाँच-पड़ताल का अलग विषय हो सकता है। अभिभावक इस तथ्य के बारे में अधिक चिंतित नहीं दिखलाई पड़ते कि उनका पाल्य/बच्चा अपने विषयों को सीखने-समझने की प्रक्रिया में किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। हाँ, यदि कोई कमी महसूस होती भी है, तो ट्यूशन का विकल्प आज़माया जाता है। इस मनोविज्ञान को दोहन करने हेतु एक तंत्र् विकसित हो रहा है। समग्र रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सामाजिक चेतना की यही मुख्य प्रवृत्ति दिखाई देती है।
- बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के प्रति सामाजिक जागरूकता बहुत ही शिथिल है। यह विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों में नामांकन हेतु बहुत सक्रिय दिखाई देती है परंतु बच्चे के मौलिक अधिकार के अवक्रमित होने/उल्लंघन होने की स्थिति में क्या-क्या उपबंध हैं? इस बारे में जानकारी की कमी है। इसे अधिकार – आधारित उपागम (Right Based Approach) की तरह नहीं समझा जाता वरन् इसे सरकार की उदारता (Charity) माना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार मुख्य हितधारक बच्चा है और उसके अधिकारों का अबाधित रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों की क्षीणता दिखाई देती हैं संभवत: इसका कारण यह रहा हो कि शिक्षा के अधिकार के कानून को लेकर समाज में जागरूकता एवं संचेतना में कमी है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में समाज में जागरूकता एवं चेतना की जाँच पड़ताल के क्रम में निम्नांकित मुद्दे (Issues) सामने आते हैं –

1. निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अपवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन के बारे में जागरूकता है और वे इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रयास करते हैं।
2. समुचित सरकार की व्यवस्थागत जवाबदेही एवं अध्यापक की शैक्षणिक जवाबदेही के बारे में जागरुकता के स्तर पर कमी दिखाई देती है।
3. बच्चों के इस अधिकार के अवक्रमण/उल्लंघन की दशा में परिवेदना निवारण (Grievance Redrassal) व्यवस्था की जानकारी के प्रति अनभिज्ञता दिखाई देती है।
4. सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तके, छात्रवृत्तियाँ आदि) को लेकर सजगता है।
5. बच्चे की शैक्षणिक प्रगति में अध्यापक-अभिभावकों के मध्य संवाद की कारगर भूमिका को लेकर स्पष्टता का अभाव है।

6. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की शिक्षा के अधिकार को अधिकार–आधारित उपागम के बजाय सरकार की दया/उदारता के रूप में देखा जाता है।

अत: नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक चेतना एवं सक्रियता का अभाव दिखाई देता है।

प्रारंभिक शिक्षा की दशा एवं दिशा- जनपद में प्रारंभिक शिक्षा की दशा को जानने के लिए यह जाँच पड़ताल करना समीचीन होगा कि जनपद में प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, शिक्षक-छात्र अनुपात, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या और निजी विद्यालयों में इसका फ़ैलाव आदि की स्थिति क्या है? निम्नांकित तालिका में जनपद में प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या एवं इनमें नामांकित बच्चों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है-

यह तथ्य रेखांकित करने योग्य है कि जनपद के कुल प्रारंभिक विद्यालयों में से निजी प्रारंभिक विद्यालयों का प्रतिशत 21.97 है जबकि छात्र नामांकन में इनकी हिस्सेदारी 24.7 प्रतिशत है। यह निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ते रूझान का संकेत देता है।

एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह दिखाई देती है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों में बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 52.6 प्रतिशत तथा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 51.8 प्रतिशत बालिकाएँ नामांकित थीं। इससे यह अनुमान मिलता है कि बालकों का नामांकन निजी विद्यालयों में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 35.3 प्रतिशत बच्चे इन विद्यालयों मे नामांकित थे, जिनमें से 51 प्रतिशत बालिकाएँ थीं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 63.1 प्रतिशत बच्चे-बच्चे इन विद्यालयों मे नामांकित थे, जिनमें से 54.8 प्रतिशत बालिकाएँ थीं।

सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद, एकल अध्यापकीय विद्यालय समाज में चर्चा/बहस के प्रमुख मुद्दे रहते हैं। इसके लिए जनपद में अध्यापकों की कार्यकारी संख्या एवं रिक्त पदों की स्थिति से संबंधित समंको का अवलोकन करना उपयुक्त होगा, जिसे निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका-1

प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या एवं नामांकित बच्चों की संख्या

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	संख्या	प्रतिशत	नामांकित छात्रों की संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी प्रारंभिक विद्यालय	721	78.03	20946	75.3
2	निजी विद्यालय	203	21.97	4678	24.7
		924	100.00	25624	100.00

स्रोत – जिला परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, जनपद बागेश्वर

तालिका-2

जनपद के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक

पद	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	कुल सृजित पद	कार्यरत्	रिक्त	कुल सृजित पद	कार्यरत्	रिक्त
प्रधान अध्यापक	462	382	80	30	22	08
सहायक अध्यापक	604	447	157	378	320	58
शिक्षा मित्र	162	130	32	-	-	-
योग	1228	959	269	408	342	66
प्रतिशत	100.00	58.00	22.00	100.00	83.80	16.20

स्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) कार्यालय, जनपद बागेश्वर

उक्त तालिका के अवलोकन से कम से कम एक तथ्य तो स्पष्ट होता है कि जनपद के कम से कम 22 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापक द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। **DISE (District Information of School Education)** की वर्ष 2014 के आंकड़ों से कतिपय चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जनपद के 25 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में यह प्रतिशत 46.6 है। इतना ही नहीं जनपद के 50 प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता है। ये आंकड़े विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को इंगित करते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु 30:1 तथा प्राथमिक विद्यालयों हेतु 35:1 छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है। जनपद बागेश्वर के संदर्भ में यह 23:1 है। निरपेक्ष रूप से यह अनुकूल जान पड़ता है परंतु एकल अध्यापक वाले विद्यालयों की बढ़ी संख्या (22 प्रतिशत) का संज्ञान लेने पर इस अनुकूलता के निहितार्थ बदल जाते हैं। ऐसे सरकारी विद्यालय जहाँ 10 या इससे भी कम बच्चे नामांकित हैं और ऐसे विद्यालयों की संख्या जनपद में निरंतर बढ़ती जा रही है, यह गहन विमर्श का विषय है। इन विद्यालयों में छात्र नामांकन बढ़ाने की दूसरी चुनौतियाँ सामने हैं।

दिशा-जनपद में प्रारंभिक शिक्षा का विहंगावलोकन के बाद अगला स्वाभाविक प्रश्न यह उभरता है कि मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों की कमी के बावज़ूद विद्यालयों में बच्चों की विषयगत पढ़ाई-लिखाई, सीखने-समझने की स्थिति क्या है? इस संदर्भ में असर *(ASER) 2013* द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से तथ्य उभरकर सामने आते हैं, जिनको निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है-

इसी प्रकार का एक सर्वेक्षण वर्ष *2013-14 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT),* नयी दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि

तालिका-3

विवरण	जनपद बागेश्वर	उत्तराखंड राज्य
1. 6-14 आयुवर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन प्रतिशत	24.7	39.7
2. 6-14 आयुवर्ग के बच्चों में ड्रॉप आउट दर	0.4	1.7
कक्षा-1 एवं 2 के बच्चों का अधिगम स्तर		
1. वर्ण, शब्द या इससे अधिक पढ़ सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	89.0	71.5
2. 1-9 तक के अंक पहचान पाना या उससे अधिक जानने वाले बच्चों का प्रतिशत	88.9	76.3
कक्षा-3 से 5 के बच्चों का अधिगम स्तर		
1. कक्षा-1 का Text पढ़ सकते हैं या उससे अधिक पढ़ सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	78.1	64.2
2. घटाने की संक्रिया या उससे अधिक संक्रियाओं को कर सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	55.6	45.1

स्रोत – असर (ASER) 2013 रिपोर्ट, *District Performance Table, Uttarakhand.*

सर्वेक्षण *(National Achievement Survey (NAS), तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT),* उत्तराखंड द्वारा राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण *(State Level Achievement Survey (SLAS)* किया गया। यह संप्राप्ति सर्वेक्षण तीसरी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के संदर्भ में किया गया। बागेश्वर जनपद के 177 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह सर्वेक्षण किया गया। इसके परिणामों को निम्नांकित तालिका में निरूपित किया गया है-

उक्त दोनों तालिकाओं का अवलोकन करने के बाद यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद जनपद के सरकारी प्राथमिक विद्यालय राज्य और कुछ मामलों में राष्ट्रीय स्तर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यद्यपि उक्त प्रदर्शन तुलनात्मक (राज्य/राष्ट्रीय) रूप से बेहतर नज़र आता है तथापि इससे बेहतर करने के लिए पर्याप्त संभावनाएँ भी मौजूद हैं। यह संतोषभाव के बजाय अभिप्रेरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में अध्यापकों को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सरकारी शिक्षा प्रणाली में विश्वास जगाता है, उक्त तथ्यों के आलोक में कम से कम बागेश्वर जनपद की सरकारी शिक्षा प्रणाली के बारे में आशान्वित करता है साथ ही सरकारी विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों की प्रतिबद्धता को निरूपित करता है।

राह क्या है? उक्त विवेचन के बाद जिज्ञासा स्वाभाविक है कि आगे रास्ता क्या है? इस प्रश्न पर विचार करने के क्रम में शिक्षाकर्म के दो पक्षकारों- माँग पक्ष (जिसमें शिक्षा को लेकर चेतनशील समाज की आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं।) तथा पूर्ति पक्ष (जिसमें समाज की शैक्षिक ज़रूरतों को संबोधित करने वाले पक्षकार के रूप में सरकार/शासन शामिल हैं।) यहाँ दोनो को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता होगी। इस क्रम में निम्नांकित सुझावों पर विचार किया जा सकता है-

तालिका-4 (प्रतिशत में)

विवरण	**संप्राप्ति स्तर (Achievement level)**			
	राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण *(State Level Achievement Survey (SLAS)*		**राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण *(National Achievement Survey (NAS)***	
	बागेश्वर जनपद	**उत्तराखंड राज्य**	**उत्तराखंड राज्य**	**राष्ट्रीय औसत**
हिंदी भाषा				
1. बच्चों का हिंदी भाषा में समग्र संप्राप्ति स्तर	66.72	61.18	57	64
2. हिंदी भाषा में सुनने के कौशल में संप्राप्ति स्तर	71.00	68.10	61.00	65.00
				50.00
3. हिंदी भाषा में समझ के साथ पढ़ने के कौशल में संप्राप्ति स्तर	69.40	65.40	50.00	50.00
4. हिंदी भाषा में समझ के साथ लिखने के कौशल में संप्राप्ति स्तर	26.00	20.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गणित				
1. जोड़ने की संक्रिया कर सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	67.90	62.20	63.00	69.00
2. घटाने की संक्रिया कर सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	63.90	60.10	60.00	65.00
3. गुणा की संक्रिया कर सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	64.50	57.00	63.00	63.00
4. भाग की संक्रिया कर सकने वाले बच्चों का प्रतिशत	69.80	66.20	57.00	57.00
5. ज्यामितीय समझ रखने वाले बच्चों का प्रतिशत	63.90	60.30	56.00	56.00
6. पैटर्न समझ रखने वाले बच्चों का प्रतिशत	69.00	76.80	68.00	69.00

स्रोत – राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण *(State Level Achievement Survey (SLAS) एवं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey (NAS) 2013-14.*

सरकारी शिक्षा प्रणाली अभी भी पर्याप्त सक्षम है। सामाजिक न्याय के श्रेष्ठतम अभिकरण के रूप में इसमें अपार संभावनाएँ हैं। प्रशिक्षित शिक्षक व्यक्ति, पर्याप्त संसाधन आधार आदि घटक इसकी सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं परंतु कुछ मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना ज़रूरी है। सबसे प्रमुख मसला प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तत्पश्चात् छात्र संख्या बढ़ने के क्रम में मानक पी.टी. आर.1:30 के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 विषय विशेषज्ञ अध्यापकों (भाषा-1, विज्ञान/गणित-1, सामाजिक विज्ञान-1) की व्यवस्था की जाए तत्पश्चात् छात्र संख्या बढ़ने के क्रम में मानक पी.टी.आर.1:35 के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय पुस्तकालय, प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक कक्षा-कक्ष, शिक्षण-अधिगम सामग्री, खेल सामग्री, खेल का मैदान, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यालय में सीखने का वातावरण बनाने में इन सभी की अहम् भूमिका होती है।

वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 2,59,898 थी और दशकीय वृद्धि दर 4.18 आँकी गई। यदि इस वृद्धि दर को भी आधार मान लिया जाए, तो हमारे समक्ष प्रतिवर्ष 10000 से अधिक बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती होगी। इसमें से 75 प्रतिशत को सरकारी शिक्षा प्रणाली में समावेशन का अनुमान किया जाए तो भी यह संख्या 7500 ठहरती है। इसके लिए आवश्यक प्राथमिक विद्यालयों का आंकलन, प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नीति बनानी होगी। प्रतिवर्ष कम से कम 100 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा से प्रतिपर्ष बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति के तथ्य को ध्यान में रखकर रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

6-14 आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने में उल्लंघन/बाधा पहुँचने की दशा में राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग **(SCPCR)** द्वारा संज्ञान लेने की व्यवस्था की गई है। एकल संस्था प्रत्येक विद्यालयी स्तर पर घटित घटना का संज्ञान लेने में कारगर साबित नहीं हो सकती है। अत: विद्यालय स्तर पर आर.टी.ई. के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समितियों को निगरानी हेतु सहायक ऐजेंसी के रूप में यह ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों के अभिमुखीकरण एवं गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

विगत कुछ वर्षों से समाज का रुझान अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों की ओर बढ़ रहा है और इस सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है। यह सरकारी विद्यालयों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया है। सरकारी विद्यालयों को भी समाज की आकांक्षा के अनुरूप अंग्रेज़ी माध्यम/अंग्रेज़ी शिक्षण

के प्रचलन को बढ़ाना होगा। इस संदर्भ में वर्ष 2013 से जनपद में पहल की गई है। प्रत्येक विकासखंड के कुछ विद्यालयों में अंग्रेज़ी माध्यम/अंग्रेज़ी शिक्षण को लागू किया गया है। इन विद्यालयों के अध्यापकों को इस संदर्भ में प्रशिक्षित करके उनकी क्षमता का संवर्द्धन (Capacity Building) किया गया हैं। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु यह महत्वपूर्ण उपक्रम साबित हो सकता है। सामर्थ्यानुसार इस नवाचार को जनपद के अन्य विद्यालयों में विस्तारित करने की आवश्यकता है।

शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करने मात्र से यह बच्चों को सर्वसुलभ हो जाएगा, इसमें संदेह हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज से इस अधिकार के क्रियान्वयन की चेतना उभरे तथा अधिकार आधारित उपागम *(Right Based Approach)* के रूप में समाज इसकी माँग करे और अधिनियम में निहित विभिन्न संस्थाओं, ऐजेंसियों, सरकार एवं शिक्षक कर्मियों को जवाबदेही के लिए बाध्य करे। इसके लिए समुदाय में इस अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ तत्संबंधी संचेतना कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।

सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की घटती नामांकन संख्या या 10 से कम संख्या वाले विद्यालय जिला शिक्षा प्रशासन के लिए चिन्ता का विषय हैं। इसके लिए अध्यापकों के समक्ष आगामी 2-3 वर्षों में इस संख्या में अपेक्षित वृद्धि का लक्ष्य रखा जाए। इस दिशा में बेहतर प्रयास करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन, मान्यता एवं सम्मानित करने हेतु संस्थागत प्रयास किये जाएँ। वर्तमान में भी कतिपय विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे निजी विद्यालयों से सरकारी विद्यालयों में बच्चों की वापसी हुई है। यह प्रयास बहुत सीमित हैं तथापि अनुकरणीय हैं। ऐसे प्रयासों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इन प्रयासों की निरन्तरता हेतु प्रोत्साहन, मान्यता एवं सम्मान के संस्थागत उपाय ज़रूरी हैं, जिससे अन्य विद्यालय/अध्यापक इसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित हो सकें।

31 अक्तूबर, 2011 को उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन हेतु नियमावली प्रख्यापित कर दी है। जिसमें शिक्षकों के दायित्व, प्रतिवर्ष शिक्षण दिवस, प्रति सप्ताह शिक्षण घंटों को स्पष्ट कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन भली प्रकार से हो इसके लिए अध्यापक एवं अभिभावकों के मध्य निरन्तर संवाद की आवश्यकता है। यह संवाद बच्चे की शैक्षणिक प्रगति संबंधी विमर्श पर केंद्रित हो। नियमावली में इसक लिए नियम निर्धारित हैं। इसका अभिभावकों में प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। इससे एक ओर अध्यापक के शैक्षिक प्रयासों को मान्यता मिलेगी वहीं दूसरी ओर अभिभावक बच्चे की शैक्षणिक प्रगति में स्वयं को भागीदार महसूस कर सकेंगे।

अध्यापक को निरन्तर अकादमिक अनुसमर्थन हेतु पुख्ता संस्थागत इतंज़ाम किए जाएँ, संकल/ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्षमता संवर्द्धन करके उन्हें इस भूमिका हेतु तैयार किया जाए। यह अनुसमर्थन जहाँ एक ओर अध्यापकों की अकादमिक समस्याओं

के समाधान में मददगार होगा वहीं दूसरी ओर बेहतर प्रयास कर रहे शिक्षकों को चिह्नित करके उनको प्रोत्साहन स्वरूप मान्यता, प्रशस्ति एवं सम्मानित करने की प्रक्रिया को विश्वसनीयता देगा। शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक असर भी होगा। इसके लिए नागरिक मंच, बागेश्वर एक महत्वपूर्ण पहल कर सकता है कि अपने स्तर से जनपद में बेहतर कार्य करने वाले अध्यापकों को सम्मानित करे।

उक्त विमर्श के आलोक में हम कह सकते हैं कि जनपद में प्रारंभिक शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए ठोस बुनियादी उपाय किए जाएँ, तो दिशा में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। समग्र विषमताओं के लिए मात्र अध्यापक को दोषी ठहराना उनके प्रति अन्याय होगा। यह भी निश्चित है कि छापेमारी (यह शब्दावली विगत कुछ वर्षों से बहुत प्रचलन में है।) शिक्षा व्यवस्था से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, इसमें संदेह के पर्याप्त ठोस आधार हैं। बेहतर परिणामों के लिए स्वानुशासन, प्रेरक वातावरण एवं शिक्षको में पेशेवर दृष्टिकोण का विकास और इसके लिए अवसर अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं। वस्तुत: शिक्षण कार्य फ़ैक्ट्री के कामगार के कार्य से अलग है और गहन भी। यह ज़िम्मेदार भावी नागरिकों के सृजन/विकास का मसला है, इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण ही अन्तत: सार्थक परिणाम दे सकता है। अत: इसके लिए हमें अध्यापक पर विश्वास करना ही होगा।

संदर्भ

असर (एनुवल स्टेट्स ऑफ़ ऐजुकेशन रिपोर्ट) 2013. डी.आई.एस.ई. (डिस्ट्रीक इंफ़ॉमेशन ऑफ़ स्कूल ऐजुकेशन) डी.ए.टी.ए.

उत्तराखंड. 2011. *राइट ऑफ़ चिल्डर्न टू फ़्री एंड कंपलसरी ऐजुकेशन एक्ट*.

एस.सी.ई.आर.टी. 2013-14. राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण *(State Level Achievement Survey) (SLAS)* उत्तराखंड.

एन.सी.ई.आर.टी. 2013-14. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण *(National Achievement Survey)* नयी दिल्ली.

_____. 2005. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नयी दिल्ली.

जनपद सांख्यिकी. 2013-14. जिला अर्थ एवं साख्यिकी विभाग, जनपद बागेश्वर.

जिला शिक्षा अधिकारी. 2013-14. (बेसिक) कार्यालय, जनपद बागेश्वर.

जिला परियोजना कार्यालय. 2013-14. सर्व शिक्षा अभियान, जनपद बागेश्वर.

केवलानन्द काण्डपाल. 2013. *अ स्टडी ऑफ़ मेज़र इशूज़ एंड चेलेंजेज़ इन इंपलिमैंटिग राइट टू फ़्री एंड कंपलसरी ऐजुकेशन टू चिल्डर्न इन इंडिया विद स्पेशल रिफ़रेंस टू उत्तराखंड,* एल.एल.एम डिसरटेशन.

भारत सरकार. 2009. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम.

_____. 2011. राष्ट्रीय जनगणना.

शिक्षा विमर्श, वर्ष 16/अंक-4/जुलाई-अगस्त, दिगंतर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, जयपुर.